

आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 19/2011

रत्नेश्वर कुमार सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
30.04.2015	<p>यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के आदेश ज्ञापांक 184, दिनांक 13.01.2011 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 08.12.2010 को 12:15 बजे अपराहन में रतनेश कुमार सिंह उर्फ रत्नेश्वर कुमार सिंह, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-01/2007,सा०-अरना, पंचायत-अरना, थाना-मशरक, प्रखंड-मशरक की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल (श्री रमण कुमार ओझा, कार्यापालक दण्डाधिकारी, मढौरा एवं अंचल अधिकारी, मशरक) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई-</p> <ol style="list-style-type: none">(1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दुकान से अनुपस्थित थे।(2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था।(3) विक्रेता की अनुपस्थित के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नहीं की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागज जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।(4) विक्रेता के घर के अन्य सदस्य के द्वारा भंडारण के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया। साथ ही मुखिया, ग्रा०पं०रा०, अरना एवं जितेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा लिखित रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता के	

द्वारा विगत छः माह से किरासन तेल की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 3456, दिनांक 08.12.2010 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छ किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता प्रतिदिन समय से अपनी दुकान खोलता एवं बंद करता है। निरीक्षण की तिथि 08.12.2010 को विक्रेता अंत्योदय के खाद्यान्न का ड्रापट बनाने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, मशरक गया हुआ था, जिसमें उसे पुरे दिन का समय लग गया। जांच कार्य में असहयोग करने के लिए उसके द्वारा जान बुझ कर दुकान बंद नहीं रखा गया था। चूँकि दुकान की चाभी विक्रेता की जेब में थी, इस लिए परिवार के सदस्यों के द्वारा दूकान खोलकर भंडार दिखाना और कागजात जॉचाजर्थ प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका संधारित किया जाता है। जांच की तिथि को भी उसके द्वारा ऐसा किया गया था, लेकिन हो सकता है कि लिखावट के हल्का होने की वजह से दिखाई न दिया हो। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण नियमित रूप से किया जाता है। इनकी दूकान का सभी कागजात अद्यतन है, जिसकी प्रति अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया था, जिसका सम्यक परिसीलन किए बिना अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। जांच के क्रम में कोई भी प्रतिकूल बिन्दु यदि पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि उसके संबंध में कारण पृच्छ किया जाए, न कि उसे आधार बनाकर कठोर आदेश पारित कर दिया जाए। विगत पंचायत चुनाव में वर्तमान मुखिया की विक्रेता के द्वारा मदद न करके दूसरे प्रत्याशी की मदद की गई, जिसके प्रतिशोध में वर्तमान मुखिया बराबर विक्रेता को क्षति पहुँचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जहाँ तक जितेन्द्र कुमार सिंह की बात है विक्रेता के गाँव में दो जितेन्द्र कुमार सिंह हैं। जितेन्द्र कुमार सिंह, पिता श्री बच्चा सिंह, विक्रेता के उपभोक्ता हैं, जिन्हें



विकेता से कोई शिकायत नहीं है, जबकि जितेन्द्र कुमार सिंह, पिता श्री राजवंशी सिंह विकेता से संबद्ध उपभोक्ता नहीं है लेकिन राजनितिक दुशमनी की वजह से विकेता के विरुद्ध शिकायत की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विकेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। यदि किसी कारण वश विकेता को कही जाना हो तो इसकी पूर्व अनुमति नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही, निर्धारित कार्य अवधि में दूकान का संचालन किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा कराया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 184, दिनांक 13.01.2011) में अंकित किया गया है कि विकेता से प्राप्त कागजातों की जांच के क्रम में विकेता के विरुद्ध कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसे आधार बनाकर यह आदेश पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि इन अनियमितताओं के संबंध में विकेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विकेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हें सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 283

दिनांक 02/05/2015

प्रतिलिपि - SDO, मर्गा (1) को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचना दे
एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए / DDO, NRC, साण को
उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने
के लिए प्रेषित।

धरिय उप सहायिका
जिला शिक्षा अधिकारी, सारण